न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट/पदेन सहायक कलक्टर सीमलवाडा, डूंगरपुर

प्रार्थी	विपक्षी
श्री नदा पिता हिरा धम्बोला	श्री नगजी पिता हिरा वगैराह धम्बोला
किस्म मुकदमा अन्तर्गत ऑर्डर 39 रूल 1 व 2 जा दी सपठित धारा 212 रा टि एक्ट	पत्रावली संख्याः 52/2018 (2018/00032)

क्रमांक	कार्यवाही विवरण	हस्ताक्षर पार्टी तथा सूचनाएं जारी की गई
	दिनांक 27.11.2019 पत्रावली पेश हुई। उभयपक्ष वकील उपस्थित। प्रकरण दिनांक 18.12.2018 से दर्ज होकर एक वर्ष का समय होने पर भी वकील विपक्षीगण द्वारा जवाब प्रार्थना पत्र पेश नहीं किया गया। जबकि वकील विपक्षी को एक वर्ष में 12 अवसर दिये गये। वकील विपक्षी गण द्वारा जवाब देना नहीं चाहा। बहस सुनी गई। पत्रावली का अवलोकन किया गया। प्रकरण में विपक्षी गण के विरूध अस्थायी निषेधाज्ञा जारी की जाना उचित प्रतीत नहीं होकर सुविधा संतुलन में नहीं आता है। प्रकरण खारिज योग्य होने से खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसल में शुमार होकर नम्बर से कम होकर संलग्न मूल वाद रहे। निर्णय खुले न्यायालय में लिखवाया जाकर सुनाया गया। (दौलतराम चौधरी RAS) उपखण्ड मजिस्ट्रेट सीमलवाडा	

Signature Not Verified
Digitally signed by Daulat Ram Choudhary
Date: 2019.11.29 16:23:21 IST
Reason: SelfAttested